न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–65/2025

दशरथ नाथ.....वादी

बनाम

विशुननाथ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.02.2026	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक 15.12.2025 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 12.02.2026 को सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु नियत है एवं इस वाद में वादी द्वारा मद नं0–02 अर्जी नालिस की भूमि पर वादी का हिस्सा बकदर 1/4 कायम करते हुए बतैनाती सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त वादी का अलग तख्ता कायम कराने वो अन्य अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। वादी द्वारा बंटवारा तलब जायदाद का विवरण मद नं0–02 अर्जी नालिस में दिया गया है। टंकक के भुल के कारण मद नं0–02 में कुछ ऐराजी वो खाता, खेसरा गलत रूप से दर्ज हो गया है, जिसका सुधार करना आवश्यक है। लेहाजा इस संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए वादी के वाद पत्र में सुधार करने हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन स्वीकार कर नीचे लिखे तरीके से संशोधन करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए। वादी द्वारा दाखिल आवेदन में प्रस्तावित संशोधनः– (क) वाद पत्र के मद नं0–02 में खाता–20, खेसरा–193 में दर्ज रकबा ‘‘0–09–09’’ को विलोपित कर उसके स्थान पर रकबा ‘‘0–13–0’’ भूमि जोड़ दिया जाए। (ख) वाद पत्र के मद नं0–02 में दर्ज खाता–42, खेसरा–114 में दिये गये रकबा में दर्ज ‘‘10’’ धुरकी को विलोपित कर उसके स्थान पर ‘‘08’’ धुरकी जोड़ दिया जाए। (ग) वाद पत्र के मद नं0–02 में वर्णित खाता–20 में अंकित खेसरा–192 रकबा ‘‘0–03–11’’ धुर भूमि को विलोपित कर दिया जाए।	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–65/2025

दशरथ नाथ.....वादी

बनाम

विशुननाथ एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.02.206	(घ) वाद पत्र के मद नं0–02 में अंकित कुल रकबा में दर्ज ''10'' धुरकी को विलोपित कर उसके स्थान पर रकबा ''08'' धुरकी भूमि जोड़ दिया जाए। इस वाद में प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति वो सुनवाई हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें, जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडता प्रतीत नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (Life Insurance Corporation of India V. Sanjeev Builders Private Limited and another, AIR 2002 SC 4256) Amendment may be justifiably allowed where it is intended to rectify the absence of material particulars in the plaint. वादी का आवेदन दिनांक 15.12.2025 को स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वाद पत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 26.02.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	